राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–8)

क्रमांक रु एफ.2(1)ग्रावि/अनु–8/2014 जयपुर,दिनांक : 18-08-2015

' बैठक कार्यवाही विवरण '

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के निरीक्षण के लिए आवंटित जिला प्रभारियों की फीड बैक बैठक दिनांक 17.08.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैं:–

1. राज्य सरकार का प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम कोटा संभाग में 31 अगस्त से 7 सितम्बर, 2015 तक प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में तैयारी हेतु बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2015 को आयोजित की जावे । समस्त योजना प्रभारी अपनी–अपनी योजनाओं के संबंध में चारों जिलों की स्थिति की समीक्षा कर, विशेष तौर पर ऐसे मुद्दे जो अभियान के समय आमजन व जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाये जा सकते हैं, के सम्बन्ध में समुचित तैयारी करें ।
2. आगामी वीडियों कान्फ्रैंस में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है:–
   अ. जिला प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत जिला भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर जिलों के साथ विस्तृत चर्चा।
   ब. जिलों द्वारा विकास अधिकारियों का चार्ज किसी सहायक अभियन्ता या अन्य को दिया हुआ है, जिसे सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को दिलवाये जाने बाबत चर्चा ।
   स. बजट घोषणा व सुगम पोर्टल पर लम्बित शिकायतें/मुद्दों पर चर्चा ।
   द. पंचायत दिवस शुक्रवार के स्थान पर गुरूवार करने के संबंध में जिलों से चर्चा ।
   य. ग्राम पंचायतों द्वारा नेशनल हाइवे पर बनवाए गये फेसिलिटी सेन्टर्स की उपयोगिता के संबंध में चर्चा ।
   र. कन्वर्जेश पर चर्चा ।
3. गत बैठक में योजना प्रभारियों द्वारा जिलों के भ्रमण के दौरान समीक्षा हेतु निर्देशित 10 बिन्दुओं में एक अन्य बिन्दु यह भी जौडा जावे कि राज्य सरकार की वरीयता के सम्बन्ध में जिलों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, इस सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की जावे ।
4. समस्त जिला प्रभारीगण द्वारा माह के दूसरे गुरूवार व शुक्रवार को अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भ्रमण किया जावेगा । इस हेतु समस्त अनुभागों को पाबन्द किया जावे कि इन दोनों दिवसों में किसी भी प्रकार की बैठक नही रखी जावे । यदि अपरिहार्य कारणों से दूसरे गुरूवार–शुक्रवार को क्षेत्र में जाना सम्भव ना हो तो प्रथम गुरूवार – शुक्रवार को भ्रमण किया जावे । क्षेत्रीय भ्रमण में किसी भी प्रकार की छूट सम्भव नही है । फिर भी छूट आवश्यक हो तो प्रमुख शासन सचिव महोदय से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है । आगामी माह से जो जिला प्रभारी क्षेत्रीय भ्रमण पर नही जावेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

5. जिलों में बडी संख्या में पद रिक्त हैं । अतः रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति मा.मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावे तथा जिन जिलों में बहुत ज्यादा रिक्त पद हैं, उनमें अन्य जिलों से कार्मिक लगाकर पद भरे जावें ।
6. पूर्व में आदेश दिये गये थे कि ग्राम सेवक व लिपिक में से एक कार्मिक की नियुक्ति की जाकर सभी ग्राम पंचायतों में एक कार्मिक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे, इस सम्बन्ध में जिलों को पुनः निर्देश दिये जावें ।
7. लिपिक जिनको ग्राम सेवक का चार्ज दिया गया है, उनका प्रशिक्षण आयोजित करवाया जावे ।
8. स्वच्छ भारत अभियान के तहत अधिकांश जिलों द्वारा बजट की मांग की गई है । अतः जिलों को आवश्यकतानुरूप बजट उपलब्ध करवाया जावे । यदि बजट उपलब्ध नही हो तो इस संबंध में 7 दिवस में प्रमुख शासन सचिव महोदय को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जावे ।
9. जिलों में विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंश को लागू करने में हिचक है, जिसके लिए कन्वर्जेंश के आदेश पुनः सरलीकृत भाषा में जारी किये जावें तथा विभिन्न योजनाओं की राशि से कन्वर्जेंश कर स्वीकृतियां किस प्रकार जारी की जानी है के बारे में स्वीकृति आदेशों के "**टेम्प्लेट**" बनाकर जिलों को उपलब्ध करवाये जावें ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

18/8

(चिम्मन लाल वर्मा)
परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव (मोएवं मू)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक मा.मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मॉ गॉधी नरेगा
6. निदेशक, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग
7. निदेशक, मिड डे मील
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण
9. समस्त जिला प्रभारी.....
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास के कार्यवाही विवरण वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।

18/8

परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव (मोएवं मू)